

**झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग**
का0 आ0 सं0-8/ज.सं. (नि.)ल. सिंद राँची-27/09-
:आदेश:

पीरटांड थाना कांड सं. 39/2008 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री सागर प्रसाद सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता संप्रति लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची को प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय आदेश सं0-1658 दिनांक 28.05.2010 के द्वारा झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-100 के अंतर्गत निलंबित किया गया था।

श्री सागर प्रसाद सिंह के द्वारा निलंबन समाप्ति हेतु प्राप्त अभ्यावेदन एवं दिनांक 31.03.2011 को उनकी सेवानिवृत्ति पर विचार करते हुए सरकार ने इन्हें इनके सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 31.03.2011 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया है।

एतद निर्णय सरकार द्वारा संसूचित किया जाता है।

ह0/-
(शेखर कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड,
राँची।

ज्ञापांक-8/ज. सं. (नि.) ल0 सिं0 राँची-27/2009-..... राँची, दिनांक.....
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार,
राँची/मुख्य अभियंता केन्द्रीय रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल संसाधन
विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई
प्रमण्डल, राँची/संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, राँची/श्री सागर प्रसाद सिंह,
तत्कालीन कनीय अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल संसाधन
विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-8/ज. सं. (नि.) ल0 सिं0 राँची-27/2009-..... राँची, दिनांक.....
प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-8/ज. सं. (नि.) ल0 सिं0 राँची-27/2009-..... राँची, दिनांक..... 28-11-14
प्रतिलिपि- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव